उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-15/2019-20

कटकी साह

बनाम्

रक्षा हेम्ब्रम एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक	
25/01/22	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।
	वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता कटकी साह, पे०-स्व० कल्याण साह, सा०-फाजिल खुटहरी, थाना-मेहरमा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के पी०ए० केश नं0-13/17-18 आदेश दिनांक-16.05.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी०ए० केश नं0-13/17-18 आदेश दिनांक-16.05.2018 के द्वारा संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तरवादी रक्षा हेम्ब्रम, पे0-स्व0 रघु हेम्ब्रम को मौजा-मेघचातर नं0-72 का प्रधान नियुक्त किया है।
	अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-मेघचातर नं0-72 के गत प्रधान जीवलाल साह थे। जिनका नाम मौजा-मेघचातर के जमाबंदी सं0-1 में दर्ज है। गत प्रधान जीवलाल साह की मृत्यु के बाद मौजा का प्रधानी पद रिक्त होने पर एक रघु हेम्ब्रम ने मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया और राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं कर्मचारियों के सहयोग से रघु हेम्ब्रम मौजा-मेघचातर का प्रधान नियुक्त हुआ। इसके बाद नियुक्त प्रधान रघु हेम्ब्रम की मृत्यु हो गयी और संबंधित मौजा का प्रधानी पद एक बार फिर रिक्त हो गया। रघु हेम्ब्रम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उत्तरवादी प्रथम पक्ष रक्षा हेम्ब्रम एवं अपीलकर्त्ता कटकी साह और एक जदु हेम्ब्रम के द्वारा संबंधित मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्त करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया। जिसके आधार पर पी०ए० केश नं0-55/11-12 संधारित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत संबंधित मौजा में प्रधान नियुक्त करने के लिए संबंधित मौजा के रैयतों को नोटिश दिया गया। अनुमंडल

पदाधिकारी, गोड्डा के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के द्वारा विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–37/11–12 वाद दायर किया गया। विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा दिनांक–04.04.2017 के आदेश में निर्णय दिया कि अपीलकर्त्ता का दावा खतियानी प्रधान के आधार पर है तथा उत्तरवादी प्रथम पक्ष का दावा गत प्रधान के वंशज के आधार पर है। रिमाण्ड पर अभिलेख वापस होने पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा आदेश दिनांक–16.05.2018 के उत्तरवादी प्रथम पक्ष को संबंधित मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) नियमावली 1950 के नियम 3 का पालन नहीं किया गया है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा प्रधान पद पर बिना नियुक्त हुए ही प्रधानी जोत जमीन का अवैध ढंग से जोत आबाद किया जा रहा था तथा बिना प्रधान नियुक्त हुए ही रैयतों से मालगुजारी का वसूली की जा रही थी। इसलिए इस तरह का कार्य अपराधिक कार्य है और अपराधिक कार्य करने वाला प्रधानी पद के लिए योग्य नहीं हो सकता है। इसलिए उत्तरवादी प्रथम पक्ष के रैयतों में आम स्वीकार्य के संबंध में मौजा के रैयतों से राय लेने के लिए मौजा–मेघचातर के सौलह आना रैयतों को नोटिश देना चाहिए था। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश नहीं दिया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता ने अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मेघचातर के गत प्रधान रघु हेम्ब्रम थे। रघु हेम्ब्रम की मृत्यु के बाद उत्तरवादी प्रथम पक्ष को संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत गत प्रधान रघु हेम्ब्रम के उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा–मेघचातर का प्रधान नियुक्त करने के लिए मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के दिनांक–11.10.2011 के आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के द्वारा आर0एम0ए0 नं0–37/11–12 दायर किया गया है। उक्त अपील वाद के आदेश दिनांक–04.

04.2017 के द्वारा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया गया तथा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत संबंधित मौजा में प्रधान नियुक्त करने के लिए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को वापस भेजा। आर0एम0ए0 नं0–37/11–12 में दिनांक–04.04.2017 के आदेश के आलोक में गत प्रधान रघु हेम्ब्रम के उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष को मौजा–मेघचातर का प्रधान नियुक्त किया गया। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष के पक्ष में मौजा–मेघचातर के 69 रैयत दिनांक–03.11.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष के पक्ष में अपना राय दिया। इसके पूर्व भी रैयतों के द्वारा ग्राम सभा कर उत्तरवादी प्रथम पक्ष का समर्थन किया गया है। इस प्रकार उत्तरवादी प्रथम पक्ष मौजा के सौलह आना रैयतों में आम स्वीकार्य योग्य है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश दिया गया है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विरूद्ध अपीलकर्त्ता को छोड़कर किसी भी रैयत की ओर से कोई आपत्ति नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि मौजा–मेघचातर का गत प्रधान की मृत्यु के बाद उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा प्रधानी जोत पर खेती की जा रही थी। प्रधानी पद वंशानुगत है एवं प्रधानी जोत जमीन पर खेती करना कोई अपराध नहीं है तथा यह कदाचार के अन्तर्गत नहीं हो सकता है। इसलिए अपीलकर्त्ता का यह कथन कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष प्रधानी पद के अनुपयुक्त है, बिल्कुल ही निराधार है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता स्वयं ग्राम फाजिल खुटहरी के निवासी है। ग्राम फाजिल खुटहरी मौजा–मेघचातर से एक मील से अधिक दूरी पर है। गत प्रधान रघु हेम्ब्रम को पी0ए0 केश नं0–195/68–69 से नियुक्त किया गया है तथा अपीलकर्त्ता का गत प्रधान रघु हेम्ब्रम से कोई संबंध नहीं है। निम्न न्यायालय ने नियम संगत तरीका से उत्तरवादी प्रथम पक्ष को गत प्रधान रघु हेम्ब्रम के ज्येष्ठ पुत्र के आधार पर मौजा–मेघचातर का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों से स्पष्ट होता है कि मौजा–मेघचातर नं0–72 के गत प्रधान रघु हेम्ब्रम थे। अपीलकर्त्ता ने खतियनी प्रधान जीवलाल साह के वंशज

के आधार पर दावा किया है तथा उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने गत प्रधान रघु हेम्ब्रम के वंशज के आधार पर दावा किया है। यह स्पष्ट है कि मौजा–मेघचातर के गत प्रधान रघु हेम्ब्रम थे, जिनकी नियुक्ति पी0ए0 केश नं0–195/68–69 के द्वारा प्रधानी पद पर नियुक्ति हुई है। उक्त नियुक्ति के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के पिता कल्याण साह के द्वारा उपायुक्त, संथाल परगना, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–503/70–71 दायर किया गया था। जिसमें अपीलकर्त्ता कल्याण साह के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मौजा के गत प्रधान रघु हेम्ब्रम थे। नियुक्ति के पूर्व निम्न न्यायालय के द्वारा मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश दिया गया है एवं संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत गत प्रधान रघु हेम्ब्रम के उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष रक्षा हेम्ब्रम को मौजा–मेघचातर का प्रधान नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–13/17–18 आदेश दिनांक–16.05.2018 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/6/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

28/6/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

DB No – 08
28.01.22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:20:52 +05:30
Location: 192.168.29.8